(9)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/नि०1–162/14 333 पटना, दिनाकः 27.09.18

कार्यालय आदेश

श्रीमती अलका सिन्हा, तत्कालीन अंचल अधिकारी,मनेर प्रखड, पटना सम्प्रति कनीय साख्यिकी सहायक, गुप्तवार्त्ता ईकाई प्रशाखा, निदेशालय मुख्यालय प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा बाढ 2013 से संबंधित राहत कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता बरते जाने संबंधी आरोपो के लिए निदेशालय के का०आ०सं०–88 ज्ञापांक–532 दिनाक–05.05 2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी श्रीमती अलका सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की विस्तृत समीक्षोपरांत निम्न जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है.–

(I) उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रस्तोता पदाधिकारी के मंतव्य से आरोपी पर राहत कार्य वितरण में विलब के लिए इस कंडिका मे लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(II) इस कडिका मे लगाये गये आरोपों के सफाई के संबंध में जो साक्ष्य उपलब्ध कराये गये है उनसे स्पष्ट होता है कि रिलिफ के रूप में चुडा–गुड़ का वितरण प्रारंभ किया गया था, नावें चलायी जा रही थी । इस आधार पर आरोप पूर्णतः प्रमाणित नहीं होता है।

(III) इसमें आरोपी का स्पष्टीकरण आंशिक रूप में विचारणीय मानते हुए यह आरोप पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। तीनों आरोप प्रमाणित नहीं होता है का प्रतिवेदन दिया गया है लेकिन संचालन के समय जो स्पष्टीकरण श्रीमती सिन्हा द्वारा दिया गया है उसमे अपने वरीय पदाधिकारियों के संबंध में जिस वार्त्ता का उल्लेख किया गया है वह कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल बताया गया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1568 दिनाक–24.09.2015 द्वारा श्रीमती अलका सिन्हा से अभ्यावेदन की मॉग की गयी जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित तथ्यो को उल्लेख किया गया :–

कंडिका 01 एवं 02 में लगाये गये आरोपों के संबंध में श्रीमती सिन्हा का कहना है कि आरोप की कंडिका 01 एवं 02 में लगाये गये आरोप का विषय एक ही है। संचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि कंडिका 01 मे लगाये गये आरोप तथ्यों एव साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। श्रीमती सिन्हा का कहना है कि बाढ राहत कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा था तथा इस संबंध मे उनके द्वारा साक्ष्य भी उपलब्ध कराया गया था । संचालन पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि चुडा–गुड का वितरण एवं नावो का भी परिचालन किया जा रहा था । जब सारे कार्य सुचारू रूप से किये जा रहे थे तो आरोप प्रमाणित नही होते है। उनका कहना है कि समर्पित साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा नही की गयी है। प्रस्तोता पदाधिकारी का यह कहना है कि मुख्यालय आकर वस्तुस्थिति की जानकारी श्रीमती सिन्हा को देना चाहिए

था, जो व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। मनेर अंचल के पॉच पचायत बाढ से प्रभावित थे। सभी पंचायत हेतु अलग–अलग नावो से चुड़ा–गुड को संबंधित सुपरवाईजर को सुपूर्द करने के बाद वापस आने पर पाया गया कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार महोदय जा चुके थे। श्रीमती सिन्हा का कहना है कि जहॉ तक वरीय पदाधिकारी पर प्रतिकूल आचरण का प्रश्न है, कभी भी मेरी मशा यह नही रही है कि मै अपने वरीय पदाधिकारी के सबध मे कोई आरोप लगा दूॅ। मै केवल घटना का तथ्यवार वर्णन कर रही थी। अगर मेरी भाषा में शालिनता की कोई सीमा लांघी हो तो मैं क्षमाप्रार्थी हूॅ एवं मै वचन देती हूॅ कि भविष्य मे इसकी पुनरावृति नही होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती अलका सिन्हा द्वारा शालीन ढग से अपने पक्ष को नहीं रखा गया है। अतः इनका अभ्यावेदन पूर्णरूपेण स्वीकारयोग्य प्रतीत नही होता है।

4. सचालन पदाधिकारी के मतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती अलका सिन्हा पर आंशिक प्रमाणित आरोप के लिए इन्हे निन्दन की सजा देने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती अलका सिन्हा तत्कालीन अंचल अधिकारी, मनेर प्रखड, पटना सम्प्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, गुप्तवार्त्ता ईकाई प्रशाखा, निदेशालय मुख्यालय, पटना प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 14 के प्रावधानों के इन्हें निन्दन की सजा का दड अधिरोपित एव संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापाक :– स्था०1/नि०1–162/14 1971 पटना, दिनांक : 27.09.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एव विकास विभाग,बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अवर सचिव,बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा प्रसाद, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्रीमती अलका सिन्हा, कनीय साख्यिकी सहायक, गुप्तवार्त्ता ईकाई प्रशाखा सप्रति प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 26/09